

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2287]

नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 19, 2016/भाद्र 28, 1938

No. 2287] NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 19, 2016/BHADRA 28, 1938

कृषि एवं किसान विकास मंत्रालय

(पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली. 19 सितम्बर . 2016

का.आ. 2998(अ).— केन्द्रीय सरकार, पशुधन आयात अधिनियम, 1898(1898 का 9) की धारा 3 की उपधारा (1) और धारा 3 क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खण्ड-3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित कृषि एवं किसान विकास मंत्रालय, भारत सरकार (पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग) के तारीख 8 जुलाई, 2016 की अधिसूचना संख्या का. आ. 2337(अ) में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात :—

- 2. उक्त अधिसूचना में, पैरा 2 में उप-पैरा (1) और (2) के स्थान पर निम्नलिखित पैरे रखे जायेंगे, अर्थात्:-
 - "(1) भारत में कुक्कुट और कुक्कुट उत्पादों के आयात को विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन के स्थलीय पशु स्वास्थ्य आचार संहिता की उत्पाद विशिष्ट सिफारिशों के अनुसार देश, मंडल या विभाग से और इस अधिसूचना के पैरा 3 की अपेक्षाओं को पूरा करने के अध्यधीन अनुग्यात किया जाएगा।
 - (2) देश, मंडल या विभाग की एवियन इंफ्लूएंजा प्रास्थिति, निर्यातक देश / मंडल / विभाग द्वारा विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन के स्थलीय पशु स्वास्थ्य आचार संहिता की अपेक्षाओं के अनुसार की गई हाल की रिपोर्ट के आधार पर अवधारित होगी।"

[फा. सं. 109-33/2009-व्यापार]

डॉ. ए.जे.वी. प्रसाद, संयुक्त सचिव

4488 GI/2016 (1)

MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE

(Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries)

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th September, 2016

- **S.O. 2998(E).**—In exercise of the power conferred by sub-section (1) of section 3 and section 3A of the Livestock Importation Act, 1898 (9 of 1898) the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare (Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries) published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O. 2337 (E), dated the 8th July, 2016, namely:—
- 2. In the said notification, in paragraph 2 for sub-paragraph (1) and (2), the following paragraphs shall be substituted, namely:—
- "(1) The import of poultry and poultry products into India shall be allowed from the country, zone or compartment in accordance with the product specific recommendations of the Terrestrial Animal Health Code of World Organization for Animal Health and subject to fulfilment of requirements in paragraph 3 of the notification.
- (2) The avian influenza status of a country, zone or compartment shall be determined on the basis of most recent status of the exporting country, zone or compartment as reported by the country to the World Organization for Animal Health in accordance with the requirements in Terrestrial Animal Health Code of World Organization for Animal Health".

[F. No.109-33/2009-Trade] Dr. A.J.V PRASAD, Jt. Secy.